



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2939]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 14, 2016/अग्रहायण 23, 1938

No. 2939]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2016/AGRAHAYANA 23, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4031(अ).— भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2700 (अ) तारीख 5 अक्टूबर, 2015, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 5 अक्टूबर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है;

और, घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य ग्राम घाटीगांव, जिला ग्वालियर के निकट अवस्थित है और 26° से 26°15' उ. उत्तर अक्षांश और 77°50' से 78°12' पू. पूर्व देशांतर के बीच है जिसे मध्य प्रदेश सरकार अधिसूचना संख्या 15-16-75 डैश-2, दिनांक 1 मई, 1981 अधिसूचित करती है, यह क्षेत्र 512 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है;

और, घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य ग्रेट इंडियन वास्टर्ड (*अरडेओटिस निगरिकेप्स*) और अभयारण्य के अन्य जन्तु चीतल (*एक्सिस एक्सिस*), चींकरा (*गजेला स्या.*), नीलगाय (*बोसेलेफस स्या.*), लकड़बग्घा (*हैयना हैयना*), भालू (*यूरसस स्या.*), घड़ियाल (*क्रोकोडायलस स्या.*), किंगफिशर (*एलकेडो स्या.*) का एक काल्पनिक आश्रयस्थल है;

और, अभयारण्य की मुख्य वनस्पति खैर (*अकाकिया स्या.*), गुर्जन (*डेपटेरोकारपस टरबीनाटस*), तेंदु (*डायसपारोस मेलानोजाइलोन*), पालाश (*बुटेया मोनोसपेरमा*) और रियोझा (*अकासिया स्या.*) आदि है और खुले घास के मैदान, *जिजोपस स्या.* छोटी झाड़ियों, से ढके हुए है, भूई झाड़ी (*ईगारोसटिस टेनिला*), लैपोरसा (*अरिसटेडा वाई सेटिरिक्स*) और भनजुरा (*अपलूदा मुटिका*) इन स्थानों पर उपलब्ध घासों में से कुछ है;

और, घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश राज्य में घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) घाटीगांव हुकना अभयारण्य की सीमा 100 मीटर से 2 किलोमीटर सीमा क्षेत्र को अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**—(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 100 मीटर से 2 किलोमीटर विस्तार के साथ 1100.4601 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है और जीपीएस निर्देशांक के साथ सीमा का वर्णन **उपाबंध I** में दिया गया है।

(2) अक्षांश, देशांतर और सीमा व्यौरे के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र क्रमशः **उपाबंध I** और **III** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले 13 ग्रामों तक फैला हुआ है और पारिस्थितिक संवेदी जोन के 100 मीटर और 2 किलोमीटर के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना** — (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:—

- (i) पर्यावरण ;
- (ii) वन ;
- (iii) नगर विकास ;
- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिका ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ;
- (viii) मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;
- (ix) सिंचाई ; और
- (x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार से विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना के विकास तथा क्रियाकलापों को और अधिक दक्ष और पारिस्थितिक अनुकूल रूप में क्रमगणित होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान उपासना स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) भू-उपयोग - पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं012, 20, 25,33 और सं. 36 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए लिए पारिस्थितिक अनुकूल कुटीर जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;
- (ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;
- (iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (iv) वर्षा जल संचय;
- (v) कुटीर उद्योगों में ग्राम उद्योग, भंडारण की सुविधा और स्थानीय सुख-सुविधाएं सम्मिलित हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंज्ञात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) पर्यटन - (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो पर्यटन महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित होंगे।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राजस्व और वन विभाग और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(4) **मानव निर्मित विरासत स्थलों** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी।

(5) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(6) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा।

(7) **बहिष्काव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्काव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(8) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- (ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- (iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- (iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(9) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(10) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उसके अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और प्रवृत्त नियमों और इसके अध्यक्षीन बनाए गए विनियमों के अधीन यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(11) **औद्योगिक इकाइयां** - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योगों का स्थापन विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग के सिवाय अनुज्ञात नहीं किए जाएंगे।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण के कोई नए उद्योग का स्थापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यक्षीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों का निर्माण भी सम्मिलित है;

		(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोविंदरामन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के कठोर अनुसरण का प्रचालन होगा।
(2)	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नए बृहत जल विद्युत, सिंचाई परियोजनाओं और थर्मल परियोजना का स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार निरंतर बने रहेंगे ;
(9)	खाई भूमि।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के भीतर कोई नया मलखात भूमि का स्थापन अनुज्ञेय नहीं होगा परंतु विद्यमान खाई भूमि का इस शर्त के अध्यक्षीन संचालन किया जा सकेगा कि खुले स्थान पर जलाने की क्रिया अनुज्ञात नहीं की जाएगी।
(10)	बकरी पालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(11)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	कोई संनिर्माण क्रियाकलाप तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य स्तरीय समिति द्वारा 1 से 10 से अधिक पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी के तटों और प्राकृतिक नाला से 100 मीटर तक अन्यथा अनुज्ञात न कर दिया।
विनियमित क्रियाकलाप		
(12)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों को अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : तथापि, पारिस्थितिक संवेदी जोन के एक किलोमीटर से परे और उसकी सीमा तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देशों के अनुरूप होंगे।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) इसके अतिरिक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन से परे, सदभाविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे।

(14)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन की पूर्व अनुमति के साथ)।
(15)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन की पूर्व अनुमति के साथ)।
(16)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा कार्ययोजना में दिए गए विवरण का अनुसरण किया जाएगा।
(17)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) जल के संदूषण या प्रदूषण, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(18)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(19)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(21)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(22)	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(24)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(26)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	वायु और यानिक प्रदूषण	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	पारिस्थितिक पर्यटन कुटीर।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे(एक किलोमीटर के भीतर अनुज्ञात किया जाना है)।
(30)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(31)	पारिस्थितिक-पर्यटन क्रियाकलाप ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
संबंधित क्रियाकलाप		
(32)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, डेयरी उद्योग, एक्काकल्चर, मछली पालन और पशुपालन ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।

(33)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(34)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(35)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(36)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाए ।
(37)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर रोशनी आदि को बढ़ावा दिया जाएगा।
(38)	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(39)	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
(40)	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क)	प्रभागीय आयुक्त, ग्वालियर	- अध्यक्ष;
(ख)	मुख्य वन संरक्षक, शेर परियोजना, ग्वालियर	सदस्य ;
(ग)	जिला कलक्टर, जिला ग्वालियर	सदस्य ;
(घ)	अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर	सदस्य ;
(ङ)	अधीक्षण इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य विभाग, ग्वालियर	सदस्य ;
(च)	जिला पंचायत सचिव का मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य ;
(छ)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य ;
(ज)	पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा	सदस्य ;
(झ)	नगर और ग्राम योजना विभाग का जिला अधिकारी	सदस्य ;
(ञ)	मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर का क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य ;
(ट)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य;
(ठ)	घाटीगांव वन्यजीव अभयारण्य, ग्वालियर का वन्यजीव वार्डन	सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य जीव वार्डन **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केंद्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय या माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

उपाबंध I क

घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ बिन्दुओं के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक

घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक बिन्दु


क्र. सं.	जीपीएस	देशान्तर	अक्षांश
1	पू 01	77° 46.178' पू	26° 11.435' उ
2	पू 02	77° 50.320' पू	26° 14.663' उ
3	पू 03	77° 52.099' पू	26° 13.004' उ
4	पू 04	77° 55.767' पू	26° 15.522' उ
5	पू 05	78° 0.864' पू	26° 13.254' उ
6	पू 06	78° 4.038' पू	26° 12.647' उ
7	पू 07	78° 8.150' पू	26° 12.082' उ
8	पू 08	78° 6.320' पू	26° 8.632' उ
9	पू 09	78° 0.270' पू	26° 5.118' उ
10	पू 10	77° 55.332' पू	26° 2.694' उ
11	पू 11	77° 51.948' पू	26° 4.154' उ
12	पू 12	77° 48.650' पू	26° 5.619' उ
13	पू 13	77° 47.091' पू	26° 8.429' उ

घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली के निर्देशांक बिन्दु

क्र. सं.	जीपीएस	देशान्तर	अक्षांश
1	पू 01	77° 46.460' पू	26° 12.919' उ
2	पू 02	77° 48.769' पू	26° 15.293' उ
3	पू 03	77° 51.627' पू	26° 13.034' उ
4	पू 04	77° 53.706' पू	26° 15.058' उ
5	पू 05	77° 58.013' पू	26° 15.483' उ
6	पू 06	78° 1.881' पू	26° 13.459' उ
7	पू 07	78° 8.856' पू	26° 12.125' उ
8	पू 08	78° 6.448' पू	26° 8.037' उ
9	पू 09	78° 2.560' पू	26° 8.037' उ
10	पू 10	77° 59.507' पू	26° 3.900' उ
11	पू 11	77° 55.160' पू	26° 2.146' उ
12	पू 12	77° 51.092' पू	26° 4.655' उ
13	पू 13	77° 47.824' पू	26° 6.963' उ
14	पू 14	77° 46.410' पू	26° 9.946' उ

उपाबंध Iख

घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अक्षांश और देशांतर तथा सीमा के साथ जीपीएस निर्देशांक का मानचित्र



उपाबंध II

घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य, घाटीगांव, ग्वालियर, (मध्य प्रदेश) के पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र (2 किलोमीटर के भीतर) में सम्मिलित प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	निर्देशांक
1	कैंथा	26°14'38.597" उ 77°59'42.753" पू


घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य, घाटीगांव, ग्वालियर, (मध्य प्रदेश) के पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र सहित (100 मीटर के भीतर) प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	देशान्तर	अक्षांश
1	बेला की बवादी	26° 7' 58.124" उ	78° 6' 34.012" पू
2	दंदाकीध्राक	26° 4' 44.110" उ	77° 50' 1.433" पू
3	घाटीगांव	26° 2' 51.229" उ	77° 56' 18.107" पू

4	जखोदी	26° 4' 39.836" उ	77° 51' 5.072" पू
5	कैथा	26° 14' 38.777" उ	77° 59' 43.570" पू
6	नयागांव	26° 6' 59.559" उ	78° 4' 33.638" पू
7	ओदपुरा	26° 12' 30.251" उ	78° 5' 44.689" पू
8	पनीहार	26° 6' 8.561" उ	78° 1' 48.439" पू
9	तिघरा	26° 13' 12.820" उ	78° 1' 21.519" पू
10	वीरपुर	26° 9' 1.597" उ	78° 7' 3.354" पू
11	बिथोली	26° 12' 49.891" उ	78° 4' 10.368" पू
12	लशकर	26° 11' 51.876" उ	78° 9' 23.432" पू

उपाबंध III

घाटीगांव हुकना वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबंध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए कार्यवाही किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । व्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविक्षा के मामलों का सारांश । व्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

[फा. सं. 25/74/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O. 4031(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O 2700 (E), dated the 5th October 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And WHEREAS, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 5th October 2015.

And WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification.

And WHEREAS, the Ghatigaon Hukna Wildlife Sanctuary situated near village Ghatigaon, in Gwalior District and lying between 26° to 26°15' north latitude and 77°50' to 78°12' east longitude notified *vide* Government of Madhya Pradesh notification No. 15-16-75 Das-2, dated the 1st May, 1981 is spread over an area of 512 square kilometres ;

AND WHEREAS, the Ghatigaon Hukna Wildlife Sanctuary is an ideal habitat of Great Indian Bustard (*Ardeotis nigriceps*) and the other main fauna of the sanctuary are Cheetal (*Axis axis*), Chinkara (*Gazella sp.*), Nelgai (*Boselephus sp.*), Hyena (*Hyaena sp.*), Bear (*Ursus sp.*), crocodile (*Crocodylus sp.*), Kingfisher (*Alcedo sp.*);

AND WHEREAS, the main flora of the sanctuary are Khair (*Acacia sp.*), Gurjan (*Dipterocarpus turbinatus*), Tendu (*Diospyros melanoxylon*), Palas (*Butea monosperma*) and Reonjha (*Acacia sp.*) etc. and open medos are at places covered with low bushes of *Zizyphus sp.* Bhuy bhushi (*Eragrostis tenelle*) Lapurse (*Aristida by sterix*) and Bhanjura (*Apluda mutica*) are some of the grasses present in the area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Ghatigaon Hukna Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (V) and (xiv) of sub section (2) and sub section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area varying from 100 meters to 2 kilometers around the boundary of the Ghatigaon Hukna Wildlife Sanctuary in the State of Madhya Pradesh as Ghatigaon Hukna Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are on under, namely :-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 1100.4601 square kilometers with an extent varying from 100 meters to 2 kilometers around the boundary of Ghatigaon Hukna Wildlife Sanctuary and the boundary description along with Geographical Positioning System coordinates is given in **Annexure-IA**.

(2) The maps of the Eco-sensitive Zone along with latitudes, longitudes and boundary details are appended as **Annexures I-B** and **III** respectively.

(3) The Eco-sensitive Zone is spread over 13 villages falling in Shivpuri District of Madhya Pradesh and the list of villages falling within 100 meter and 2 kilometers of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Madhya Pradesh State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation; and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green areas, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. Measures to be taken by State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 20, 25, 33 and 36 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;
- (ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) rainwater harvesting; and
- (v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment of the State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Ghatigaon Hukna Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities :

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(3) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(4) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(5) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(6) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(10) **Vehicular traffic. -** The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(11) **Industrial units**

(a) No establishment of new wood based Industries within the Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco -sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New or existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and thermal projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable

		laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
9.	Trenching ground.	No establishment of new trenching grounds shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone : Provided that the existing trenching grounds maybe operated subject to the conditions that no open burning shall be allowed.
10.	Goat farming.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity, unless otherwise permitted by State Level Committee, shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 meters and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
Regulated Activities		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities: Provided that, beyond one kilometer or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for <i>bone fide</i> local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Commercial use of firewood.	Regulated under applicable laws (with prior approval of Chief Wildlife Warden of the State).
15.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws (with prior approval of Chief Wildlife Warden of the State).
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.

		(c) In case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
17.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) Extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
18.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
19.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
20.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
22.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
25.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
26.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
27.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
28.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
29.	Eco-tourism cottages.	Regulated under applicable laws (to be permitted within one kilometer).
30.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
31.	Eco-tourism activity.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
32.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture, fisheries and cattle rearing.	Permitted under applicable laws.
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc. to be promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
40.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- (a) Divisional Commissioner, Gwalior -Chairman;
- (b) Chief Conservator of Forest, Lion Project, Gwalior-Member;
- (c) District Collector, district Gwalior-Member;
- (d) Superintending Engineer Public Work Department,Gwalior-Member;
- (e) Superintending Engineer Public Health Department,Gwalior- Member;
- (f) Chief Executive Officer of Jila Panchayat Secretary-Member;
- (g) One representative of None Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years-Member;
- (h) An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a period of three years-Member;
- (i) District Officer of the Town and Country Planning Department-Member;
- (j) Regional Officer Madhya Pradesh Pollution Control Board, Gwalior-Member;
- (k) Member of Biodiversity Board- Member ;
- (l) Wildlife Warden of the Ghatigaon Wildlife Sanctuary, Gwalior-Member -Secretary.

6. Terms of reference.- 1. The tenure of the Monitoring Committee shall be three years.

2. The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
3. The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
4. The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
5. The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
6. The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
7. The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-IV**.
8. The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .


ANNEXURE-IA**Global Positioning System COORDINATES OF POINTS ALONG THE BOUNDARY OF GHATIGAON
HUKNA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE**

GPS co-ordinates of points along the boundary of Ghatigaon Wildlife Sanctuary

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	77° 46.178' E	26° 11.435' N
2	E02	77° 50.320' E	26° 14.663' N
3	E03	77° 52.099' E	26° 13.004' N
4	E04	77° 55.767' E	26° 15.522' N
5	E05	78° 0.864' E	26° 13.254' N
6	E06	78° 4.038' E	26° 12.647' N
7	E07	78° 8.150' E	26° 12.082' N
8	E08	78° 6.320' E	26° 8.632' N
9	E09	78° 0.270' E	26° 5.118' N
10	E10	77° 55.332' E	26° 2.694' N
11	E11	77° 51.948' E	26° 4.154' N
12	E12	77° 48.650' E	26° 5.619' N
13	E13	77° 47.091' E	26° 8.429' N

GPS co-ordinates of points along the boundary of Eco-sensitive Zone Ghatigaon Wildlife Sanctuary

Sl. No.	GPS	Longitude	Latitude
1	E01	77° 46.460' E	26° 12.919' N
2	E02	77° 48.769' E	26° 15.293' N
3	E03	77° 51.627' E	26° 13.034' N
4	E04	77° 53.706' E	26° 15.058' N
5	E05	77° 58.013' E	26° 15.483' N
6	E06	78° 1.881' E	26° 13.459' N
7	E07	78° 8.856' E	26° 12.125' N
8	E08	78° 6.448' E	26° 8.037' N
9	E09	78° 2.560' E	26° 8.037' N
10	E10	77° 59.507' E	26° 3.900' N
11	E11	77° 55.160' E	26° 2.146' N
12	E12	77° 51.092' E	26° 4.655' N
13	E13	77° 47.824' E	26° 6.963' N
14	E14	77° 46.410' E	26° 9.946' N

ANNEXURE-I B**Map of Eco-Sensitive Zone of Ghatigaon Hukna Wildlife Sanctuary with latitudes and longitudes and Global Positioning System coordinates along the boundary****ANNEXURE-II****List of villages proposed to be included (within two kilometer) in the Eco-sensitive area of Ghatigaon Hukna Sanctuary Ghatigaon, Gwalior (Madhya Pradesh)**


S.N.	Name of village	Co-ordinate
1	Kaintha	26°14'38.597"N 77°59'42.753"E

List of villages proposed to be included (within 100 meters) in the Eco-sensitive area of Ghatigaon Hukna Sanctuary Ghatigaon, Gwalior (Madhya Pradesh)

Sl. No.	Village_Name	Latitude	Longitude
1	Bela ki babadi	26° 7' 58.124" N	78° 6' 34.012" E
2	Dandakhidak	26° 4' 44.110" N	77° 50' 1.433" E
3	Ghatigaon	26° 2' 51.229" N	77° 56' 18.107"E
4	Jakhodi	26° 4' 39.836" N	77° 51' 5.072" E
5	Kaitha	26° 14' 38.777" N	77° 59' 43.570"E

6	Nayagaon	26° 6' 59.559" N	78° 4' 33.638" E
7	Odpura	26° 12' 30.251" N	78° 5' 44.689" E
8	Panihar	26° 6' 8.561" N	78° 1' 48.439" E
9	Tighra	26° 13' 12.820" N	78° 1' 21.519" E
10	Veerpur	26° 9' 1.597" N	78° 7' 3.354" E
11	Bitholi	26°12'49.891"N	78°4'10.368"E
12	Lashkar	26°11'51.876"N	78°9'23.432"E

ANNEXURE-III



ANNEXURE-IV

PERFORMA OF ACTION TAKEN REPORT: - ECO-SENSITIVE ZONE MONITORING COMMITTEE

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record .
Details may be attached as Annexure.

5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.

[F. No. 25/74/2015-ESZ-RE]
Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'